इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2024—श्रावण 31, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्र. 12679—158—इक्कीस—अ(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०२४

[दिनांक २० अगस्त, २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २२ अगस्त २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०२४ है. **संक्षिप्त नाम.**

३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये ४,४६,२८,४५,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चार सौ छियालीस करोड़ अट्ठाईस लाख पैंतालीस हजार होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बावत् प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	पूंजीगत/राजस्व	(३) आधिक्य मतदत्त	भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	२३,५०,३२,०००	-	२३,५०,३२,०००
०६.	वित्त				
		राजस्व	४,०६,४३,५५,०००	-	४,०६,४३,५५,०००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल				
		राजस्व	-	**५,८२,७६,०००**	५,८२,७६,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
		पूंजीगत	-	**२,४६,०१,०००**	-
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल				
		पूंजीगत	३,१८,८६,०००	-	३,१८,८६,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		राजस्व	-	**१,८६,८६,०००**	१,८६,८६,०००
योग :		**राजस्व :**	४,३२,६३,८७,०००	**१०,९५,६६,०००**	४,४३,०६,५६,०००
		पूंजीगत :	३,१८,८६,०००	-	३,१८,८६,०००
		महायोग :	४,३६,१२,७६,०००	**१०,९५,६६,०००**	४,४६,२८,४५,०००

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्र. 12679—158—इक्कीस—अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 16 OF 2024

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 5) ACT, 2024

[Received the assent of the Governor on the 20th August 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd August 2024.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2015 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No.5) Act, 2024.

Issue of Rs.4,46,28,45,000 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2015.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. Four Hundred Fourty Six Crore Twenty Eight Lakh Fourty Five Thousand shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2015 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sum deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on 31st day of March, 2015

THE SCHEDULE

(*See* Section 2 and 3)

(1)	(2)	(3)			
		Excess			
No. of Vote	**Services and purposes**	**Capital/ Revenue**	**Voted (Rs.)**	**Charged (Rs.)**	**Total (Rs.)**
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	23,50,32,000	-	23,50,32,000
06.	Finance	Revenue	4,09,43,55,000	-	4,09,43,55,000
24.	Public Works- Road and Bridges	Revenue	-	**5,82,79,000**	5,82,79,000
41.	Tribal Area Sub-Plan	Capital	-	**2,46,01,000**	-
42.	Public Works relating to Tribal Area Sub-plan Road and Bridges	Capital	3,18,89,000	-	3,18,89,000
67.	Public Works- Buildings	Revenue	-	**1,86,89,000**	1,86,89,000
	Total	**Revenue**	**4,32,93,87,000**	**10,15,69,000**	**4,43,09,56,000**
	Total	**Capital**	**3,18,89,000**	-	**3,18,89,000**
	Grand Total		**4,36,12,76,000**	**10,15,69,000**	**4,46,28,45,000**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.